91

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (मध्यप्रदेश)

III/पुनर्विलोकन/रीवा/भू-रा/2017/2662

रामस्वरूप कुशवाहा तनय रामपियारे कुशवाहा उम्र 70साल, पेशा खेती निवासी ग्राम चौका सुनवर्षा तह०मऊगंज जिला रीवा म०प्र० --- आवेदक

बनाम

शासन म०प्र० -- अनावेदक

दिनांक 14-8-17 को श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह अभि० द्वारा प्रस्तुत। 14-8-17

वीरेन्द्र कुमार सिंह
Advocate रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा के प्र०क्र० 148/पुनर्विलोकन/2015-16 पारित आदेश दि० 14/7/2017

आवेदन-पत्र बावत् किये जाने पुनर्विलोकन निगरानी/रीवा /2016-17 प्र०क्र०2356पारित आदेश दिनांक 2/8/2017

पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 51 म०प्र०भू-रा०सं० 1959ई०

मान्यवर,

पुनर्विलोकन के आधार निम्न हैः-

(1) यहकि आवेदक के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा के प्रकरण क्रमांक 148/पुनर्विलोकन/2015-16 पारित आदेश दिनांक 14/7/2016 के विरुद्ध दायर किया था।

(2) यहकि आवेदक के द्वारा जब निगरानी दायर की गई थी तो अपर कमिश्नर रीवा के पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक 148/पुनर्विलोकन /2015-16 अन्तिम निर्णय दिनांक 14/7/2017 के विरुद्ध दायर की गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा जो आदेश दि०

रामस्वरूप -2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ

प्रकरण कमांक तीन/पुनरावलोकन/रीवा/भू.रा./2017/2662

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12.1.2018	न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कंमांक तीन–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/2356 में पारित आदेश दिनांक 2–8–17 पर से यह पुनरावलोकन आवेदन मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत हुआ है। 2/ पुनरावलोकन आवेदन में बताये गये आधारों तथा प्रकरण क्रमांक तीन–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/2356 में पारित आदेश दिनांक 2–8–17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि यह प्रकरण क्रमांक तीन–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/2356 अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 148/15–16 पुनर्विलोकन में पारित आदेश दिनांक 14–7–17 के विरूद्व राजस्व मण्डल में दिनॉक 27–7–17 को प्रस्तुत किया गया था, किन्तु आवेदक के अभिभाषक व्दारा निगरानी के उन्मान में आदेश दिनांक 14–7–16 भूल से टंकित कर देने के कारण निगरानी विलम्ब के आधार पर निरस्त कर दी गई, जो प्रत्यक्षदर्शी भूल है। अतः पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण क्रमांक तीन–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/2356 पुर्नस्थापित किया जाता है। इस आदेश की प्रति प्रकरण में योजित की जावे। तदुपरांत प्रकरण नस्तीबद्व कर रिकार्ड रूम में जमा किया जावे। सदस्य	